24.07.2024

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी की और से पेरोकार सरकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि आवंटी रामचरण पुत्र परसादी जाति जाटव निवासी भोपूर को ग्राम भोपूर में स्थित खसरा नम्बर 254,336 दिनांक 10.02.1976 को आवंटन हुई थी। जिसका हाल खं0नं0 368,939,940,943 रकबा 1.16है0 है। जिस पर आवंटी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं करने के कारण उक्त आंवटन निरस्त फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूमि अप्रार्थी को दिनांक 10.02.1976 को आवंटन हुई थी तथा आवंटन की शर्तो के अनुसार अप्रार्थी ने आवंटन के तीन वर्ष तक उक्त भूमि काश्त की है तथा प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी ने किस प्रकार आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की इसका कोई उल्लेख अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत नहीं किया है, साथ ही वकील अप्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त कर आवंटन यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन पर सर्वप्रथम पाया गया कि प्रार्थी द्वारा जिस आवंटन के विरूद्ध उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त आवंटन की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नहीं की है, साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने यह कही भी अंकित नहीं किया है कि आवंटी द्वारा किस प्रकार आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र त्रुटि पूर्ण होने के कारण स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी को पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता देते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार मानी जाकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी